

न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(समक्ष: डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 344 / 12

संस्थित दि.: 20 / 04 / 12

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा,  
अन्तर्गत चौकी सालेटेकरी, जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

सूरजलाल पिता देशलाल खैरवार, उम्र 30 साल,  
निवासी ग्राम बहेराभाटा, पुलिस चौकी सालेटेकरी,  
थाना बिरसा जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... आरोपी

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक 10 / 09 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 456, 354 का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 11 / 04 / 2012 को रात्रि के 10:00 बजे ग्राम बहेराभाटा अन्तर्गत थाना बिरसा चौकी सालेटेकरी तहसील बैहर में फरियादिया श्रीमती जामबाई के मकान में सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्यास्त के पूर्व अपराध कारित करने के आशय से प्रवेश कर रात्री प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया एवं श्रीमती जामबाई जो कि एक स्त्री है कि लज्जा भंग करने के आशय से उसे पकड़कर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया श्रीमती जामबाई ने दिनांक 13.04.2012 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक 11.04.2012 की रात्रि में उसका पति रामनाथ गांव में बलिराम के घर शादी कार्यक्रम में गया था वह अकेली सामने के कमरे में सोई थी। रात्रि के 10:00 बजे गांव का सूरजलाल खैरवार उसके घर आया और आवाज दी आवाज सुनकर वह उठी तो सूरजलाल खैरवार ने कहा कि उसका पति कहां है तो उसने बताया कि वह शादी में गया हैं तो सूरजलाल खैरवार ने बुरी नियत से उसके हाथ पकड़ पीछे खींचते ले गया

तो वह चिल्लाई तो उसके जेठ का लड़का आया और उसने बीच-बचाव किया। फरियादिया की रिपोर्ट पर से चौकी सालेटेकरी में आरोपी के विरुद्ध 0/12 अन्तर्गत धारा 456, 354 भा.दं.वि. की कायमी कर असल नम्बरी हेतु थाना बिरसा भेजा था, जिस पर थाना बिरसा की पुलिस के द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 60/12 अन्तर्गत धारा 456, 354 भा.दं.वि. के अन्तर्गत मामला तैयार कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 456, 354 के तहत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 456, 354 का आरोप पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है फरियादी ने पुरानी जमीन की रंजिश के कारण झूठी रिपोर्ट कर उसे झूठा फंसाया है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(अ) क्या आरोपी ने दिनांक 11/04/2012 को रात्रि के 10:00 बजे ग्राम बहेराभाटा अन्तर्गत थाना बिरसा चौकी सालेटेकरी तहसील बैहर में फरियादिया श्रीमती जामबाई के मकान में सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्यास्त के पूर्व अपराध कारित करने के आशय से प्रवेश कर रात्री प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया ?

(ब) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया श्रीमती जामबाई जो कि एक स्त्री है कि लज्जा भंग करने के आशय से उसे पकड़कर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-विचारणीय बिन्दु क्रमांक 'अ' एवं 'ब' :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु 'अ' एवं 'ब' का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी सुरेश विजयवार (अ.सा.06) का कहना है कि उसने दिनांक 13.04.2012 को फरियादिया जामबाई की मौखिक रिपोर्ट पर से आरोपी सूरजलाल खैरवार के विरुद्ध अपराध क्रमांक 0/12 अन्तर्गत धारा 456, 354 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-01 दर्ज कर असल कायमी हेतु थाना बिरसा भेजा था, जिसका अपराध क्रमांक 60/12 पंजीबद्ध किया गया। फरियादिया जामबाई की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-05 बनाया था। फरियादिया जामबाई साक्षी रामनाथ, चैतराम, अटज, जीवन के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-04 बनाया था।

(08) अभियोजन साक्षी/फरियादी जामबाई (अ.सा.01) का कहना है कि घटना उसके कथन के लगभग एक वर्ष पुरानी रात के समय की उसके घर की है। उसका पति बाहर गया हुआ था आरोपी ने उसे घर के बाहर पकड़ कर खींचातानी की उसने आवाज लगाई तो उसके जेठ के लड़के ने बीच-बचाव किया। उसका पति आया तो उसे घटना बताई उसके बाद थाने में रिपोर्ट लिखाई जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने उससे घटना के सम्बन्ध में उससे पूछताछ की और उसने घटना के सम्बन्ध में बताया था। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया था।

(09) अभियोजन साक्षी रामनाथ (अ.सा.02) का कहना है कि घटना उसके कथन के एक वर्ष पुरानी है वही शादी कार्यक्रम में गया हुआ था वापस आया तो देखा कि उसकी पत्नी जामबाई को आरोपी सूरजलाल ने पकड़ रखा था और उसने पड़ोसियों को बुलाया और गांव के लोगों ने आरोपी को समझाया। आरोपी ने उसकी पत्नी को घर के अन्दर पकड़ रखा था और छेड़छाड़ कर रहा था। पुलिस ने उससे

पूछताछ की थी और बयान लिये थे। उसने पुलिस को घटनास्थल बताया था।

(10) अभियोजन साक्षी जीवन (अ.सा.05) का कहना है कि घटना के सम्बन्ध में उसे कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने आरोपी सूरजलाल खैरवार के द्वारा फरियादिया जामबाई का बुरी नियत से हाथ पकड़ा इससे स्पष्ट इंकार किया।

(11) अभियोजन साक्षी चैतराम (अ.सा.04) एवं अटल (अ.सा.03) का कहना है कि फरियादिया जामबाई ने उन्हें घटना के सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया। साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

(12) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि आरोपी निर्दोष है। फरियादिया जामबाई ने पुरानी जमीन की रंजिश के कारण पुलिस से मिलकर आरोपी के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट कर उसे झूठा फंसाया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अभियोजन का आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है एवं साक्षियों के कथनों का भी प्रतिपरीक्षण में खण्डन हुआ है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(13) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(14) विवेचनाकर्ता सुरेश विजयवार (अ.सा.06) ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन करते हुए कथन किये हैं कि उसने दिनांक 13.04.2012 को फरियादिया जामबाई की मौखिक रिपोर्ट पर से आरोपी सूरजलाल खैरवार के विरुद्ध अपराध क्रमांक क्रमांक 0/12 अन्तर्गत धारा 456, 354 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-01 दर्ज कर असल कायमी हेतु थाना बिरसा भेजा था, जिसका अपराध क्रमांक 60/12 पंजीबद्ध किया गया। फरियादिया जामबाई की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-05 बनाया था। फरियादिया जामबाई साक्षी रामनाथ, चैतराम, अटल, जीवन के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-04 बनाया था।

(15) किन्तु फरियादी जामबाई (अ.सा.01) ने अपने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि आरोपी ने उसके घर के बाहर पकड़ उसके साथ खींचतान की थी बीच बचाव करने उसके जेठ का लड़का जीवन् आया था किन्तु अभियोजन साक्षी जीवन का स्पष्ट कहना है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है। फरियादिया श्रीमती जामबाई ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि आरोपी से उसकी पुरानी रंजिश होने के कारण उसने आरोपी के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लिखाई।

(16) अभियोजन साक्षी रामनाथ (अ.सा.02) ने अपने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि घटना उसके कथन के एक वर्ष पुरानी है वही शादी कार्यक्रम में गया हुआ था वापस आया तो देखा कि उसकी पत्नी जामबाई को आरोपी सूरज ने पकड़ रखा था और उसने पड़ोसियों को बुलाया और गांव के लोगों ने आरोपी को समझाया। आरोपी ने उसकी पत्नी को घर के अन्दर पकड़ रखा था और छेड़छाड़ कर रहा था। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी और बयान लिये थे। उसने पुलिस को घटनास्थल बताया था किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा तीन में यह स्वीकार किया है कि समाज के लोगों ने उसे रिपोर्ट करने को कहा तो उसने रिपोर्ट की। साक्षी रामनाथ के कथनों का समर्थन फरियादिया जामबाई ने भी नहीं किया है। साक्षी चैतराम (अ.सा.04) एवं अटल (अ.सा.03) का भी स्पष्ट कहना है कि फरियादिया जामबाई ने उन्हें घटना के सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया। साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का आंशिक मात्र समर्थन नहीं किया है।

(17) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से आरोपी सूरजलाल खैरवार ने दिनांक 11/04/2012 को रात्रि के 10:00 बजे ग्राम बहेराभाटा अन्तर्गत थाना बिरसा चौकी सालेटेकरी तहसील बैहर में फरियादिया श्रीमती जामबाई के मकान में सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्यास्त के पूर्व अपराध कारित करने के आशय से प्रवेश कर रात्री प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया एवं श्रीमती जामबाई जो कि एक स्त्री है कि



लज्जा भंग करने के आशय से उसे पकड़कर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया यह विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत फरियादिया जामबाई साक्षी रामनाथ के कथनों में भी गम्भीर विरोधाभास है और इन साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी खण्डन हुआ है। अभियोजन साक्षी जीवन, चैतराम, अटल ने भी अभियोजन का आंशिक मात्र समर्थन नहीं किया है।

(18) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी सूरजलाल खैरवार ने दिनांक 11/04/2012 को रात्रि के 10:00 बजे ग्राम बहेराभाटा अन्तर्गत थाना बिरसा चौकी सालेटेकरी तहसील बैहर में फरियादिया श्रीमती जामबाई के मकान में सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्यास्त के पूर्व अपराध कारित करने के आशय से प्रवेश कर रात्री प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया एवं श्रीमती जामबाई जो कि एक स्त्री है कि लज्जा भंग करने के आशय से उसे पकड़कर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया।

(19) परिणाम स्वरूप आरोपी सूरजलाल खैरवार को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 456, 354 के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(20) प्रकरण में आरोपी सूरजलाल पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित  
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)